मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2010—चैत्र 12, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. एफ 3-28-2009-तीन-437-ए.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 59 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्व्दारा, राज्य में चयनित सिद्धदोष बंदियों के लिए खुली कालोनियों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश के चयनित सिद्धदोष बन्दियों के लिए खुली कालोनी नियम, 2009 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.**—(1) ये नियम उन सभी चयनित सिद्धदोष बंदियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के न्यायालयों व्दारा दंडादिष्ट किए गए हैं तथा जो मध्यप्रदेश की जेलों में दंडादेश भुगत रहे हैं.

2. इन नियमों में जहां विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है के सिवाए, मध्यप्रदेश जेल नियमावली के उपबंध चयनित सिद्धदोष बंदियों को लागू नहीं होंगे.

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''परिवार से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित हैं माता-पिता, पत्नी, महानिरीक्षक, जेल तथा सुधारात्मक सेवाएं व्दारा यथा अनुमोदित कारावासियों के आश्रित बच्चे;

(ख) ''खुली कालोनी'' से अभिप्रेत है कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 3 के खण्ड (1) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के अधीन राज्य सरकार के आदेश व्दारा इस प्रकार स्थापित कोई स्थान.

4. **खुली कालोनियां.**—राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन मध्यप्रदेश राज्य में खुली कालोनियां ऐसे स्थानों पर बसाई जा सकेंगी जहां चयनित सिद्धदोष बंदी निवास करें तथा लाभप्रद रूप से नियोजित किए जा सकें.

5. **खुली कालोनी में रखे जाने के लिए पात्र या अपात्र बंदी.**—(1) निम्नलिखित सिद्धदोष बंदियों को खुली कालोनियों के लिए चयनित किया जा सकेगा, जो—

(क) उत्तम आचरण के पाये जाएं तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हों; और

(ख) ऐसा कार्य या रोजगार जो खुली कालोनी में उपबंधित किया जाए, करने तथा लेने के लिए रजामंद हों तथा खुली कालोनी को शासित करने के लिए विहित नियमों एवं विनियमों का पालन करने को सहमत हों; और

(ग) सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट हैं तथा उनके चयन की तारीख को उनके दण्डादेश का 2/3 (दो तिहाई) भाग माफी के साथ भुगत चुके हों;

या

आजीवन कारावास से दंडादिष्ट हैं तथा जो उनके चयन की तारीख को माफी सहित 14 वर्ष का दंड भुगत चुके हों.

(2) सामान्यत: निम्नलिखित प्रवर्गों के सिद्धदोष बंदी खुली कालोनी में अंतरित किए जाने के पात्र होने हेतु विचारणीय नहीं होंगे:—

(क) न्यायालय व्दारा आदतन (हेवीच्युल) वर्गीकृत किए गए हों;

(ख) वे जो चयन की तारीख को विगत दो वर्षों के दौरान दो या अधिक, जेल अपराधों के लिए बड़े दंड से अधिनिर्णीत किए जा चुके हों;

(ग) ऐसे बंदी जिनके न्यायालय में कोई मामला लंबित है;

(घ) मानसिक रोग या किसी अन्य गंभीर रोग से पीड़ित बंदी;

(ङ) गंभीर मानसिक रुग्णता के पूर्व इतिहास वाले बंदी;

(च) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 121, 121-क, 122, 123, 124, 124-क, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 376, 392 से 402 के अधीन या सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का सं. 3) के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष तथा दण्डादिष्ट बंदी;

(छ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का सं. 37) के अधीन सिद्धदोष बंदी;

(ज) निकल भागे तथा निकल भागने की जोखिम के सिद्धदोष बंदी;

(झ) भाड़े के और व्यवसायिक हत्या करने वाले;

(ञ) स्वापक (नारकोटिक्स) पदार्थ से संबंधित अपराधों के सिद्धदोष बंदी;

(ट) बंदी, जो किसी खुली जेल से एक बंद जेल में अंतरित किए गए हैं;

(ठ) महिला बंदी;

(ड) कोई अन्य बंदी या बंदियों का प्रवर्ग जिनको महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, खुली कालोनी में भेजने के लिए अनुपयुक्त समझता है.

(3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, चयन समिति की सिफारिश पर, किसी खुली कालोनी में परिरोध के प्रयोजन से, उपनियम (2) के अधीन आने वाले बंदियों के मामलों में विचार कर सकेंगे.

6. चयन समिति.—ऐसे सिद्धदोष बंदियों का चयन के प्रयोजन के लिए जो खुली कालोनी में रखे जाने के लिए पात्र हैं, एक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(एक) महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं या उनका नामनिर्देशिती (अध्यक्ष);

(दो) उप-महानिरीक्षक, जेल;

(तीन) अधीक्षक जेल, जहां से बंदियों को चयनित किया जाना है; और

(चार) चिकित्सा अधिकारी.

7. चयन की प्रक्रिया,—(1) जेल अधीक्षक बंदियों की उनकी अधिकतम अवधि (दंड) के अनुसार एक सूची तैयार करेगा जो नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन आते हैं, जो खुली कालोनी में रहने के इच्छुक हों.

(2) अधीक्षक इन नियमों से संलग्न प्ररूप-एक में ऐसे बंदियों के मामलों का इतिवृत्त तैयार करेगा तथा ऐसी सूचियों को, मामलों के इतिवृत्त के साथ चयन समिति को अग्रेषित करेगा.

(3) चयन समिति उक्त सूची का मामले के इतिवृत्त तथा संबंधित जेल में सिद्धदोष बंदियों की फाईलों का परीक्षण करेगी.

(4) प्रत्येक बंदी के मामले में, निम्नलिखित तथ्यों के बारे में परीक्षण किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) खुली कालोनी में रह सकने योग्य स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति;

(ख) जेल में, व्यवहार तथा आचरण एवं जिम्मेदारी के भाव का दिखना;

(ग) कार्य प्रगति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अन्य समान विषय;

(घ) समूह अनुकूलता;

(ङ) चरित्र तथा स्वअनुशासन;

(च) संस्थागत समाघात की सीमा, (क्या वह प्रशिक्षण तथा उपचार के चरम बिन्दुओं पर पहुंच चुका है);

(छ) क्या वह खुली कालोनी में रहने के लिए विश्वास किए जाने हेतु उपयुक्त है.

(5) चयन समिति, ऐसे बंदियों का चुनाव करेगी जो नियम 5 के अधीन खुली कालोनी में रखे जाने के पात्र हैं.

(6) जेल अधीक्षक, खुली कालोनी में बंदियों के अंतरण के लिए महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के आवश्यक आदेश अभिप्राप्त करने के लिए, चयनित सिद्धदोष बंदियों की सूची उनकी अभिहित नामावलियों तथा चयन समिति के विनिश्चिय के साथ महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को प्रस्तुत करेगा तथा चयन समिति तथा महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं की सिफारिशों पर विचार कर निम्नलिखित आधारों पर बंदियों को खुली कालोनी में अंतरित किया जा सकेगा:—

(क) बंदी उसकी दण्डादेश कालावधि के दौरान खुली कालोनी में निवास करेगा तथा जेल अधीक्षक की बिना अनुमति के किसी कारण से खुली कालोनी के विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के बाहर नहीं जाएगा;

(ख) बंदी, जेल अधीक्षक के सभी विधिपूर्ण आदेशों तथा युक्तियुक्त निदेशों का पालन करेगा;

(ग) बंदी अच्छा व्यवहार करेगा तथा भारत में प्रवृत्त किसी विधि व्दारा या के अधीन दंडनीय कोई अपराध नहीं करेगा;

(घ) बंदी खराब चरित्र के लोगों के साथ सहयुक्त नहीं होगा या एकाकी जीवन नहीं जिएगा;

(ङ) बंदी समनुदेशित कार्य को तत्परतापूर्वक एक दिन में न्यूनतम 8 घन्टे करेगा तथा अपनी तथा उसके परिवार के सदस्य जो महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं की अनुमति से उसके साथ रहने आये की जीविका के लिए उपार्जन करेगा;

(च) बंदी अपना स्वयं का तथा अपने परिवार के सदस्यों का जो उसके साथ रहने आए हैं, के भोजन और कपड़ों का इंतजाम स्वयं करेगा;

(छ) बंदी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिवार के सदस्य जो खुली कालोनी में उसके साथ रहने आए हैं, अच्छा व्यवहार करें तथा भारत में प्रवृत्त किसी विधि व्दारा या के अधीन दंडनीय कोई अपराध नहीं करेंगे और खुली कालोनी में उनके रुकने के दौरान कालोनी के समुदाय जीवन पर कोई धमकी किसी भी रूप में नहीं देगा.

(7) इन नियमों में की कोई भी बात किसी बंदी को खुली कालोनी में निवास के लिए चयन का अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी तथा महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं सभी या किन्हीं बंदियों को बिना कोई कारण बताते हुए यद्यपि नियम 5(1) के अधीन चयन हेतु अन्यथा अर्ह होते हुए भी, नामंजूर कर सकेगा.

8. अनुशासनहीन बंदियों के विरुद्ध कार्यवाही.—यदि जेल अधीक्षक यह पाता है कि खुली कालोनी में बंदी की स्वयं की उपस्थिति या बंदी के परिवार के सदस्यों की उपस्थिति खुली कालोनी के सामाजिक जीवन के लिए हानिप्रद है या हानिकारक होने की संभावना है, तो अधीक्षक इस मामले की रिपोर्ट महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को करेगा. महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के अंतिम आदेश प्राप्त होने तक, बंदी को खुली कालोनी के अन्य कारावासियों से अलग-अलग रखा जाएगा.

9. खुली कालोनी में दण्डादेश के आदेश के निष्पादन का निरस्तीकरण.—(1) नियम 7 के उपनियम (6) के अधीन महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं व्दारा आदेशित कारावासी खुली कालोनी में दण्डादेश का निष्पादन किसी भी समय कोई भी कारणों को समनुदेशन किए बिना महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं व्दारा निरस्त किया जा सकेगा और ऐसे निरस्तीकरण पर कारावासी को मध्यप्रदेश प्रिजन्स

रूल्स, 1968 के नियम 699 से 715 के उपबंध के अनुसार परिहार मंजूर करने के पश्चात् उसके दण्डादेश का अनवसित भाग भुगतने हेतु कारावासी को वापस जेल भेजा जाएगा.

(2) कारावासी खुली कालोनी में उसके निवास के पर्यावसान करवाने हेतु किसी भी समय लिखित में अनुरोध कर सकता है और महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं व्दारा ऐसे अनुरोध के प्राप्त होते ही खुली कालोनी में उसके दण्डादेश के निष्पादन का आदेश निरस्त हो जायेगा, और वह उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार परिहार स्वीकृत करने के पश्चात् उसे वापस जेल भेजा जाएगा.

10. इतिवृत्त (हिस्ट्रीशीट).—जेल अधीक्षक खुली कालोनी के प्रत्येक कारावासी का इतिवृत्त (हिस्ट्रीशीट) महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं व्दारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में रखेगा. जिसमें वह और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करेगा.

11. कारावासी के परिवार के सदस्यों का नियोजन.—(1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं व्दारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कारावासी, यदि वे उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों को लाने की वांछा करे तो उनके साथ कालोनी में रहने तथा काम करने के लिए वहां ला सकते हैं.

(2) महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण समनुदेशित किये कारावासी के परिवार के किसी भी सदस्य या उसके समस्त सदस्यों को युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर खुली कालोनी को छोड़ने को कह सकेगा.

12. वास सुविधा.—(1) महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं ऐसे निबंधन व शर्तों के अध्यधीन जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, खुली कालोनी में कारावासी और उसके परिवार के सदस्यों के निवास की कालावधि में वास सुविधा का ऐसे स्तर पर उपबंध कर सकेगा जो उपयुक्त और युक्तियुक्त समझे.

(2) खुली कालोनी में कारावासियों के निवास के पर्यावासन पर कारावासी और उनके परिवार के सदस्य 15 दिनों के भीतर आवास रिक्त कर देंगे जैसा कि महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विनिर्दिष्ट करे और उनके ऐसा करने में असफल रहने पर अधीक्षक ऐसे कदम उठा सकेगा जो उनको बेदखल करने और आवास खाली कब्जा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और विधिपूर्ण हो.

13. कारावासियों का शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकायों अथवा प्राइवेट कार्यों पर नियोजन.—महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं की पूर्व अनुमति से कारावासी शासकीय, अथवा अर्द्धशासकीय, अथवा स्थानीय निकायों अथवा प्राइवेट पक्षकारों द्वारा प्रायोजित कार्यों पर ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए, साधारणतया नियोजित हो सकेगा.

14. कारावासी के परिवार के सदस्यों के लिये नियोजन.—(1) खुली कालोनी में कारावासी के साथ रह रहे परिवार के सदस्यों को फार्म, खेत आदि पर जहां कि बंदी नियोजित हैं, साथ में कार्य उपलब्ध कराया जा सकेगा.

(2) कारावासी और/या उसके परिवार के सदस्यों को उनकी आय की वृद्धि करने के लिये कुटीर उद्योग जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, उद्यानिकी आदि में लगाने हेतु अनुज्ञात किया ज़ा सकेगा.

(3) ऐसे कार्य की दशा में, जो उपनियम (1) में उपबंधित नहीं हैं खुली कालोनी में कारावासी के साथ रह रहे परिवार के सदस्यों के लिये यह छूट होगी कि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट नियोजन से भिन्न नियोजन ग्रहण कर लें.

15. कारावासियों को पारिश्रमिक.— कारावासियों को उन्हें सौंपे गये कार्य के लिये ऐसी दरों पर मजदूरी के हकदार होंगे जो साधारणतया उस क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें खुली कालोनी स्थित है, और कारावासी नियोक्ता से उनके द्वारा किये गये कार्य के लिये पारिश्रमिक की समुचित पूर्ण रकम प्राप्त करने के हकदार होंगे.

16. अनुशासन और चर्या.—खुली कालोनी के कारावासियों के बीच दैनिक चर्या और अनुशासन तथा अन्तर वैयक्तिक संबंध बनाए रखना महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों द्वारा शासित होंगे.

17. पर्यवेक्षण कर्मचारिवृन्द.—(1) खुली कालोनी का समग्र प्रभार जेल अधीक्षक के पास रहेगा और उनकी सहायता हेतु पर्याप्त कर्मचारिवृन्द रहेंगे और जेल अधीक्षक और उनके अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द की मुख्य जिम्मेदारी होगी कि नियम और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और कालोनी के कारावासियों जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं के बीच अनुशासित तरीके से अनुशासन बनाएं रखें और महानिरीक्षक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन जेल अधीक्षक कालोनी के कारावासी के परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को लाभकारी नियोजन उपलब्ध करवाने में हर संभव सहायता करेगा जैसा कि महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा खुली कालोनी में रहने के लिये अनुज्ञात किया गया है.

(2) निकटतम केन्द्रीय या जिला जेल का अधीक्षक जैसा कि महानिरीक्षक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए खुली कालोनी का महीने में एक बार या बारम्बार निरीक्षण करेगा जैसा कि कार्य का पर्यवेक्षण तथा ऐसे मामले तथा समस्याओं में जो अधीक्षक या अन्य द्वारा उसको निर्दिष्ट हों, में अधीक्षक को मार्गदर्शन देने के लिये आवश्यक हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

प्रारूप-1

[नियम 7 (2) देखिए]

बंदी का इतिवृत्त (केस हिस्ट्री)

1. बंदी का नाम . . . . . .
2. बंदियों की संख्या . . . . . .
3. आयु . . . . . .
4. दण्डादेश . . . . . .
5. . . . . अधिनियम की धारा . . . . . के अधीन कारित अपराध.
6. आदतन अथवा प्रथम दोषसिद्धि . . . . . .
7. बंदी के वर्तमान तथा पूर्व के अपराधों के संबंध में बंदी का अपराधिक इतिवृत्त तथा विवरण, यदि कोई हो . . . . . .
8. सामाजिक इतिवृत्त
   - (क) बचपन . . . . . .
   - (ख) स्वास्थ्य इतिवृत्त . . . . . .
   - (ग) पड़ोसी . . . . . .
   - (घ) शैक्षणिक पृष्ठभूमि . . . . . .
   - (ङ) किशोरावस्था . . . . . .
   - (च) आर्थिक पृष्ठभूमि . . . . . .
   - (छ) नियोजन का इतिवृत्त . . . . . .
   - (ज) सहयोजन, सहचारिता इत्यादि . . . . . .
   - (झ) आदतें, रवैया आदि . . . . . .
9. व्यक्तित्व की जानकारी . . . . . .
10. आचरण के अनुक्रम से संबंधित सूत्र . . . . . .
11. क्या वह एक सामाजिक या वैयक्तिक अपराधी है? . . . . . .

क्या वह एक व्यावसायिक अपराधी या संगठित अपराधी है? . . . . . .

क्या आपराधिक कृत्य करते समय उसका आपराधिक कृत्य तथा व्यवहार उत्तेजनापूर्ण था?. . . . . .

12. उसकी त्रुटियां तथा कमजोरियां . . . . . .

13. उसके गुण . . . . . .

14. उसके पुनर्वास हेतु कौन से

बिन्दु उसके अनुकूल तथा कौन से बिन्दु प्रतिकूल हैं. . . . . .

(हस्ताक्षर)
जेल अधीक्षक

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र.-एफ-3-28-2009-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 3-28-2009-तीन दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा,उप सचिव.

Bhopal 8th March 2010

F. No. 3-28-2009-Three-437-A.—In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby makes the following rules for regulating the open colonies for selected convicted prisoners in the State, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Open Colonies for Selected Convicted Prisoners Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Application.—(1) These rules shall be applicable to all selected convicted prisoners, who are sentenced by the Courts of Madhya Pradesh and undergoing sentence in the prisons of Madhya Pradesh.

(2) Except where specifically provided in these rules, the provisions of Madhya Pradesh Jail Manual shall not be applicable to the selected convicted prisoners.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "family" means and includes parents, wife, dependent children if inmates, approved as such by the Director General of Prisons and Correctional Services;

(b) "open colony" means any place so established by orders of the State Government under clause (1) of Section 3 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894) and rules 3 of the Madhya Pradesh Prisons Rules, 1968.

4. Open Colonies.—Subject to the approval of the State Government, open colonies may be set up in the State of Madhya Pradesh at such places where selected convicted prisoners may reside and be gainfully employed.

5. Prisoners eligible or ineligible for being kept at the open colony.—(1) The following convicted prisoners may be selected for the open colony, who —

(a) are found to be of good behaviour and are physically and mentally sound; and

(b) are willing to accept and undertake such work or employment as may be provided in the open colony and agree to abide by the rules and regulations prescribed for the governance of the open colony; and

(c) are sentenced to imprisonment of seven years or more and have undergone 2/3 of their sentences with remission, on the date of their selection;

or

are sentenced to imprisonment for life and who have undergone 14 years of the sentence with remission on the date of their selection.

(2) Normally the following categories of convicted prisoners shall not be considered eligible for being transferred to the open colony:—

(a) habitual classified as such by courts;

(b) those who have been awarded two or more major punishments for prison offences during the last two years as on the date of selection;

(c) prisoners having any case pending in a court of law;

(d) prisoners suffering from mental disease or any other serious disease;

(e) prisoners having previous history of serious mental illness;

(f) prisoners convicted and sentenced for offences under sections 121, 121-A, 122, 123, 124, 124-A, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 376, 392 to 402 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), or for offences under the Public Gambling Act, 1867 (No.3 of 1867);

(g) prisoners convicted under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (No. 37 of 1967);

(h) escapes and convicted prisoners having risk of escape;

(i) hired and professional murderers;

(j) prisoners convicted of offences connected with Narcotics;

(k) prisoners, who have been transferred from an open prison to a closed prison;

(l) women prisoners;

(m) any other prisoner or category of prisoners whom the Inspector General of Prisons and Correctional Services considers unfit for being sent to an open colony.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the Inspector General of Prisons and Correctional Services may, on the recommendation of the selection committee, consider the cases of prisoners falling under sub-rule (2) for the purposes of confinement in an open colony.

6. Selection Committee—For the purpose of selecting such convicted prisoners as are eligible for being kept in the open colony, there shall be a committee consisting of :-

(i) the Inspector General of Prisons and Correctional Services or his nominee (Chairman);

(ii) the Deputy Inspector General of Prisons;

(iii) the Superintendent of the Prison from which the prisoners are to be selected; and

(iv) a Medical Officer.

7. **Procedure for Selection.**—(1) The Superintendents of prisons shall prepare the list of prisoners according to their maximum term (sentence) undergone as such on seniority basis, falling under sub-rule (1) of rule 5 and who are willing to stay in an open colony.

(2) The Superintendent shall prepare case histories of such prisoners in Form-I appended to these rules and then forward such lists together with case histories to the selection committee.

(3) The selection committee shall examine the said lists along with the case histories and files of the convicted prisoners at the respective prisons.

(4) The case of each prisoner shall be screened having regard to the following factors, namely:—

(a) health, physical and mental condition to withstand stay in an open colony;

(b) behavior and conduct in prison and sense of responsibility displayed;

(c) progress in work, vocational training, education and other like matters;

(d) group adjustability;

(e) character and self discipline;

(f) extent of institutional impacts (whether he has reached peak points of training and treatment);

(g) whether he is fit for being trusted for stay in an open colony.

(5) The selection committee shall select such prisoners as are eligible for being kept in open colony under rule 5.

(6) The Superintendent of the prison shall submit the list of selected convicted prisoners to the Director General of Prisons and Correctional Services along with their nominal rolls and the decisions of the selection committee, for obtaining necessary orders of Director General of Prisons and Correctional Services for transferring the prisoners to the open colony and upon considering the recommendations of the selection committee and of the Director General of Prisons and Correctional Services, the prisoners may be transferred to open colony on the following grounds:—

(a) that the prisoner shall reside in the open colony during the period of his sentence and shall not go beyond the limits of the specified area of the open colony under any pretext without the permission of the Jail Superintendent;

(b) that the prisoner shall obey all lawful orders and reasonable directions of the Jail Superintendent;

(c) that the prisoner shall be of good behavior and shall not commit any offence punishable by or under any law in force in India;

(d) that the prisoner shall not associate with bad characters or lead a desolate life;

(e) that the prisoner shall perform the assigned work diligently by putting at lease 8 hours work in a day, and earn his livelihood and that of his family members who may come to stay with him with the permission of the Director General of Prisons and Correctional Services;

(f) that the prisoner shall make his own arrangements for food and clothing of himself and his family members who may come to stay with him;

(g) that the prisoner shall ensure that his family members who may come to stay with him in the open colony will be of good behavior and will not commit any offence punishable by or under any law in force in India and that their stay in the open colony will not in any way pose any threat to the community life of the colony.

(7) Nothing in these rules shall be construed to confer on any prisoner any right to be selected for residence in an open colony and the Director General of Prisons and Correctional Services may reject all or any prisoners without assigning any reason although otherwise eligible for selection under rule 5 (1).

8. Action against indisciplined prisoner—If the Jail Superintendent finds that the presence of the prisoner himself or of the prisoner's family members in the open colony is or is likely to be harmful to the social life of the open colony, the Superintendent shall report the matter to the Director General of Prisons and Correctional Services, till the final orders of the Director General of Prisons and Correctional Services are received, the prisoner is isolated from other inmates of open colony.

9. Cancellation of the order of execution of sentence in open colony.(1) Execution of sentence in open colony of an inmate ordered by the Director General of Prisons and Correctional Services under sub-rule (6) of rule 7 may be cancelled by the Director General of Prisons and Correctional Services at any time without assigning any reasons and on such cancellation the inmate shall be sent back to a prison to undergo unexpired portion of his sentence after allowing remission in accordance with the provision of rules 699 to 715 of the Madhya Pradesh Prisons Rules, 1968.

(2) An inmate may, at any time in writing, request for termination of his residence in the open colony and on such request being received by Director General of Prisons and Correctional Services, the order of execution of his sentence in open colony shall be cancelled and he shall be sent to a prison after allowing remission in accordance with the provisions of sub-rule (1).

10.History sheet.—The Jail Superintendent shall maintain history sheet of each inmate in the open colony in the form specified by the Director General of Prisons and Correctional Services, wherein he shall note all important incidents relating to the life of the inmate and members of his family.

11. Employment of members of families of inmates.—(1) Subject to such conditions as may be specified by the Director General of Prisons and Correctional Services, inmates may, if they so desire bring members of their families and dependents to stay and to work with them in the colony.

(2) Without assigning any reasons, the Director General of Prisons and Correctional Services shall have the right to ask any or all of the family members of an inmate to leave the open colony within a reasonable time limit.

12. Accommodation.—(1) The Director General of Prisons and Correctional Services may provide for the period of residence in the open colony to the inmates and their family members accommodation at such scale as may be considered suitable and reasonable subject to such terms and conditions as he may specify.

(2) On termination of the residence of the inmates in the open colony, the inmates and the members of their families shall vacate the accommodation within the 15 days as the Director General of Prisons and Correctional Services may specify and on their failure to do so the Superintendent may take such steps as may be necessary and lawful to evict them and secure vacant possession of the accommodation.

13. Employment of inmates on Government, Semi—Government, local bodies or private work.—With the prior approval of the Director General of Prisons and Correctional Services, inmates shall ordinarily be employed on the works sponsored by Government or Semi-Government or local bodies or private parties on such terms and conditions as may be approved by the State Government.

14. Employment for members of families of inmates.—(1) Members of the families of inmates staying with them in the open colony may be provided with work on the farms, lands etc. on which the prisoners are employed.

(2) Inmates and/or members of their families may be allowed to augment their income by pursuing cottage industries such as dairy, poultry farming, horticulture etc.

(3) In the event of work not being provided as in sub-rule (1), it will be open for the family members staying with the inmates in the colony to take up any employment other than that specified in sub-rule (1).

15. Remuneration to inmates.—(1) Inmates will be entitled to wages at such rates as ordinarily prevailing in the area in which an open colony is located for the work assigned to them and inmates will be entitled to receive and appropriate the entire amount of remuneration from the employer for the work they do.

16. Discipline and routine.—The daily routine and maintenance of discipline and inter personal relationship amongst the inmates of the open colony shall be governed by the instructions as may be issued by the Director General of Prisons and Correctional Services from time to time.

17. Supervisory Staff.—An open colony shall be put in the overall charge of a Jail Superintendent assisted by adequate staff and it shall be the main responsibility of Jail Superintendent and the staff working under him to ensure strict observance of the rules and instructions and maintain orderliness and discipline among the inmates of the colony including members of families of the inmates and subject to orders issued by the Director General of Prisons and Correctional Services, the Superintendent may also render all possible help to provide gainful employment to such of the adult family members of the inmates as are allowed to stay in the open colony by the Director General of Prisons and Correctional Services.

(2) The Superintendent of the nearest Central or District Prison as may be nominated by the Director General of Prisons and Correctional Services shall visit the open colony once a month or as frequently as necessary to supervise the work and for giving guidance to the Superintendent in such matter and problems as are referred to him by the Superintendent or others.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LALIT DAHIMA, Dy. Secy.

FORM—1
{See rule 7 (2)}

CASE HISTORY OF PRISONER

1. Name of Prisoner .....
2. Number of Prisoner .....
3. Age . .....
4. Sentence . .....
5. Offence committed u / s ..... of ..... Act .....
6. Habitual or first conviction . .....
7. Criminal history and statement of the prisoner regarding present and previous crimes, if any .....
8. Social History
   (a) Childhood .....
   (b) Health history (c) Neighborhood .....
   (d) Educational Background (e) Adolescence .....
   (f) Economic background (g) Employment history .....
   (h) Associations, companionship etc. (i) Habits, attitudes etc. .....
9. Information of personality .....
10. Clues regarding sequence of behaviours .....
11. Is he a social or individualised criminal? .....
    Is he an professional criminal or organized criminal? .....
    Is his criminal act and behaviour at the moment of criminal act was eruptive? .....
12. His defects and weakness .....
13. His assets .....
14. Which are the favourable and unfavourable points for his rehabilitation? .....

(Signature)

Superintendent of Jail

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

प्रारूप नियम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक /486/वित्त/2010 भोपाल, दिनांक 31-3-2010

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं (2) (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2010 को बनाना प्रस्तावित करता है, जिसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि उनसे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उससे पूर्व प्राप्त हों मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा विचार में लिया जायेगा।

प्रारूप

एक– इसे माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2010 कहा जावेगा।

परिभाषाऐं :–

दो – जब तक अन्यथा प्रयोजन न हो–

2.1 "अधिनियम" से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965.

2.2 "मण्डल" से तात्पर्य है, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश जो अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।

2.3 "मान्यता समिति" से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 24(5) के अन्तर्गत गठित मान्यता समिति।

2.4 "अध्यक्ष" से तात्पर्य है, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश जो धारा 5 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

2.5 "सचिव" से तात्पर्य है, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल।

तीन – मान्यता समिति का गठन कार्यक्षेत्र एवं अधिकार :–

3.1 मण्डल द्वारा मान्यता समिति में निम्नानुसार सदस्य रहेंगे:–

(I)	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, समिति	– अध्यक्ष
(II)	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वास नामित स्कूल शिक्षा विभाग का अधिकारी जो उपसचिव के स्तर से निम्न न हो	– सदस्य
(III)	आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामित लोक शिक्षण संचालनालय का संचालक के समकक्ष स्तर का एक अधिकारी	– सदस्य
(IV)	अध्यक्ष द्वारा मण्डल के अशासकीय सदस्यों में से नामित दो सदस्य	– सदस्य
(IV)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,	– सदस्य सचिव

3.2 मान्यता समिति द्वारा संस्थाओं तथा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी नीति निर्धारण व सिद्धांत समय–समय पर तय किये जायेंगे।

3.3 मान्यता शुल्क तथा विलम्ब शुल्क मान्यता समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

3.4 मान्यता समिति की बैठक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के आदेशानुसार बुलाई जा सकेगी।

3.5 मान्यता समिति की बैठक के लिये कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि (सचिव/उपसचिव) अथवा आयुक्त, लोकशिक्षण के प्रतिनिधि में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

चार – मान्यता/नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी :

किसी संस्था को प्रथम बार नवीन मान्यता देने के लिये अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल सक्षम प्राधिकारी होंगे। पूर्व से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता के नवीनीकरण के लिये मण्डल के सचिव सक्षम होंगे।

पॉच – मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्ड :

5. 1 मण्डल की मान्यता प्राप्त करने के लिये वही संस्थायें आवेदन कर सकेंगी, जो केन्द्रीय या मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट अथवा केन्द्रीय या मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत हों एवं जिनकी उपविधियों में शैक्षणिक कार्य का प्रावधान हो।

5. 2 भूमि एवं भवन :

5.2.1. संस्था के पास हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 4,000 वर्गफीट तथा हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम 5,600 वर्गफीट भूमि होना चाहिये। उक्त भूमि में से हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 2,000 वर्गफीट निर्मित तथा 2000 वर्गफीट खुला क्षेत्रफल एवं हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम 2,600 वर्गफीट निर्मित तथा 3000 वर्गफीट खुला क्षेत्रफल होना चाहिये।

उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा की बाध्यता के अन्तर्गत रहते हुये प्रति दर्ज छात्र 10 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र एवं प्रति दर्ज छात्र 5 वर्गफीट खुली भूमि होनी चाहिये। यदि कोई शाला दो पारियों में लगती है तो प्रत्येक पारी में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में उपरोक्त मान से न्यूनतम क्षेत्रफल की गणना की जाये।

5.2.2. संस्था के पास उपरोक्त न्यूनतम शर्तों को ध्यान में रखते हुये स्वयं का अथवा किराये का भवन होना चाहिये, जिसमें पृथक–पृथक अध्यापन कक्ष, प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, प्रसाधन कक्ष आदि होना चाहिये।

5.2.3 अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा यदि कोई भूमि या भवन शिक्षण कार्य के लिये किराये पर लिया गया है तो उसका पंजीयत दस्तावेज होना चाहिये और इसकी प्रति संस्था द्वारा मान्यता हेतु दिये जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगी।

5.2.4. शिक्षण संस्थाओं में आग से बचाव हेतु नियमानुसार समुचित व्यवस्था की जावेगी।

5.2.5. संस्था द्वारा निःशक्त छात्रों के लिए नियमानुसार आवश्यक व्यवस्था की जावेगी।

5.2.6. ऐसी अशासकीय संस्था जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2005 दिनांक 07, जनवरी 2006 से प्रभावशील होने के पूर्व से संचालित होकर मण्डल से लगातार मान्यता प्राप्त रही है एवं ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहॉ संस्था के विद्यालय के पास निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के लिये न्यूनतम आवश्यक खुली भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना आज की स्थिति में संभव नहीं है, की मान्यता के नवीनीकरण हेतु सिर्फ रिक्त भूमि की शर्त के संबंध में अध्यक्ष द्वारा कारणों को लिखित करते हुये शिथिलता दी जा सकेगी।

5.3 **अध्यापन कक्ष** :– संस्था के भवन में संचालित कक्षाओं व उनके वर्गों (सेक्शन्स) की संख्या के मान से अध्यापन कक्ष होगे। प्रत्येक वर्ग में 45 से अधिक छात्रों की संख्या नहीं होंगी। संस्था के प्राचार्य व कार्यालय के लिये भी समुचित कक्षों की व्यवस्था होगी।

5.4 **प्रयोगशालाः**– प्रत्येक संस्था में हाईस्कूल के लिये एक प्रयोगशाला व हायर सकेण्डरी कक्षाओं के लिये विज्ञान संकाय होने पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिये पृथक–पृथक आवश्यक विज्ञान उपकरणों सहित सुसज्जित प्रयोगशाला होगी और इनके लिये पृथक–पृथक कक्ष पर्याप्त स्थान सहित होंगे।

5.5 **पुस्तकालयः**–

5.5.1. संस्था के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर उपयुक्त पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

5.5.2. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता को बढावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

5.6 **खेल मैदानः**– संस्था के पास इण्डोर खेलों जैसे बैडमिंटन/टेबल टेनिस/कबड्डी/खो–खो/बालीवाल/बास्केट बॉल आदि में से कम से कम दो खेलों के लिये शाला प्रागंण में सुविधा होना चाहिये।

5.7 **प्रसाधन** :– प्रत्येक संस्था में छात्र व छात्राओं के लिये पृथक–पृथक प्रसाधन की व्यवस्था आवश्यक होगी।

5.8 **फर्नीचर व्यवस्था** :– प्रत्येक छात्र को बैठकर अध्ययन कार्य के लिये समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिये।

5.9 **पेयजल व्यवस्था** :– पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

5.10 **विद्युत व्यवस्थाः**– जिन स्थानों पर बिजली उपलब्ध है वहॉ पर संस्था को प्रकाश एवं पंखों की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

5.11 **स्वास्थ्य परीक्षण एवं शारीरिक प्रशिक्षण** :–संस्था द्वारा छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। छात्रों को सप्ताह के एक कालखण्ड (पीरियड) में आवश्यक रूप से योग/शारीरिक प्रशिक्षण दिया जावेगा।

5.12 **वित्तीय व्यवस्था** :– मान्यता आवेदन के साथ ही संस्था को पिछले दो वर्ष की आय–व्यय का अंकेक्षित विवरण संलग्न करना होगा।

5.13 **अध्यापन व्यवस्था** :– संस्था में हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के अध्यापन हेतु शासकीय शालाओं के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था होगी।

5.14 सुरक्षा निधि :–

5.14.1. मान्यता/नवीनीकरण आवेदन स्वीकार करने हेतु उपयुक्त पाये जाने की दशा में मान्यता देने के पूर्व संस्था द्वारा हाईस्कूल के लिये रूपये 25,000/– तथा हायर सेकेण्डरी के लिये रूपये 40,000/– चालान के माध्यम से मण्डल के बैंक खाते में सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

5.14.2. संस्था द्वारा स्वेच्छा से मान्यता वापिस लेने या निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन करने की दशा में संस्था द्वारा देय राशि का समायोजन करते हुये शेष राशि उसे बिना किसी ब्याज के वापिस की जा सकेगी।

5.15 अन्य शर्तें :–

5.15.1. कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995)" के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुये निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी।

5.15.2. मण्डल द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संस्थाओं को शिक्षकगण, कर्मचारी व भवन मण्डल परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में उपलब्ध कराना होगा। परीक्षाओं के संबंध में मण्डल के निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

5.15.3. संस्था को एकवर्ष की मान्यता के लिये मण्डल द्वारा निर्धारित वार्षिक मान्यता शुल्क और एक से अधिक वर्षों के लिये मान्यता दिये जाने पर उतने ही वर्षों के लिये निर्धारित मान्यता शुल्क एकमुश्त अग्रिम के रूप में जमा करना होगा।

5.15.4. व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु संस्था को निर्धारित मापदण्ड की प्रयोगशाला /कार्यशाला की व्यवस्था करना होगी।

5.15.5. संस्था में कृषि संकाय होने पर संस्था को कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि की व्यवस्था करना होगी।

5.15.6. संस्था में अध्ययनरत छात्रों के परिवहन हेतु संस्था द्वारा वाहन चलाये जाने की स्थिति में उन्हें निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुसार चलाया जाना अनिवार्य होगा। संस्था के पास उपलब्ध पंजीकृत वाहनों का विवरण आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा।

छः – मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

संस्था द्वारा नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण एवं नये संकाय खोलने हेतु निर्धारित प्रारूप में निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन–पत्र की एक प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं दूसरी प्रति मण्डल के संबंधित संभागीय अधिकारी को प्रेषित की जावेगी।

6.1 संस्था के भूमि एवं भवन के स्वामित्व/किराये से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियॉं।

6.2 मान्यता हेतु विनियम के पैरा क्रमांक 5 में निर्धारित मापदण्डों के प्रत्येक बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक विवरण संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव के नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र के रूप में सलंग्न किये जाएं।

6.3 शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये 8 इंच X 6 इंच अथवा 7इंच X 5इंच अथवा 6 इंच X 4 इंच आकार के एक–एक रंगीन छायाचित्र संलग्न किये जायें :

6.3.1. संस्था के भवन की बाहरी सीमाओं को दर्शाते हुये सामने तथा पीछे से खींचा गया एक–एक रंगीन छायाचित्र।

6.3.2. संस्था के सभी पदाधिकारियों का समूह छायाचित्र।

6.3.3. संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों का समूह छायाचित्र।

6.3.4. संस्था में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों का समूह छायाचित्र।

6.4 संस्था के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समूह छायाचित्र संस्था के भवन के सामने खड़े होकर ही खींचे जावें। सभी समूह छायाचित्रों के पृष्ठ भाग में शाला भवन स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिये।

6.5 आवेदन–पत्र के साथ निम्नानुसार विवरण संलग्न किये जावें :–

6.5.1. संस्था के पदाधिकारियों की उनके नाम, पद व पते सहित सूची।

6.5.2. संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों के कक्षावार व विषयवार नाम व् शैक्षणिक योग्यता सहित सूची।

6.5.3. संस्था में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों की नाम, पद सहित सूची।

6.5.4. शाला में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की कक्षावार, संकायवार संख्या।

6.5.5. प्रयोगशालाओं की संख्या एवं उनमें उपलब्ध उपकरणों की संख्या व सूची।

6.5.6. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की विषयवार संख्या।

6.5.7. शाला में उपलब्ध कुर्सी, बैंच, मेज व आलमारियों की संख्या।

6.5.8. संस्था के संचालित बैंक खाते का विवरण, बैंक पास–बुक की अद्यतन छायाप्रति एवं वर्तमान में उपलब्ध चल–अचल संपत्ति का विवरण।

6.5.9. संस्था के दो वर्षों के अंकेक्षित वार्षिक लेखे ।

6.5.10. संस्था के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं होने बावत् संस्था के सचिव/अध्यक्ष का नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र।

6.5.11. संस्था में शिक्षण का माध्यम।

6.6 आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेज संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

6.7 मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ भूमि, भवन के संबंध में नये सिरे से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे। किन्तु छाया चित्र तथा पिछले दो वर्षों का अंकेक्षित लेखा विवरण, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर तथा पूव में दी गई जानकारी में हुये परिवर्तनों की सूची संलग्न करना आवश्यक होगी।

6.8 मान्यता एवं उसके नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक जानकारी सहित आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा और अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन मण्डल कार्यालय को भेजा जायेगा। समिति स्वविवेक से किसी भी संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी।

6.9 मान्यता/नवीनीकरण हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक विवरण सहित आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में एवं उनकी करायी गई जॉच के उपरान्त कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दो माह के भीतर मण्डल द्वारा उनका निराकरण किया जावेगा।

6.10 मण्डल द्वारा संस्थाओं को दी गई मान्यता एवं नवीनीकरण अथवा नये संकायों को खोलने की अनुमति मान्यता देने के अगले शिक्षण सत्र के प्रारम्भ से लागू मानी जावेगी।

सात.1 :–मान्यता/नवीनीकरण की प्रक्रिया :

संस्था को प्रथम बार दो वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जावेगी। तत्पश्चात तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जितनी अवधि के नवीनीकरण हेतु आवेदन दिया गया हो, उसके लिये निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एक मुश्त सम्पूर्ण अवधि के लिए संस्था द्वारा जमा करना होगा।

7.2 :– संस्थाएं उन्हीं कक्षाओं व संकायों में छात्रों को प्रवेश दे सकेंगी, जिनके संचालन की मान्यता उन्हें मण्डल द्वारा प्रदान की गई है।

7.3 :– मण्डल द्वारा मान्यता अथवा नवीनीकरण प्रदान करने संबंधी प्रमाण–पत्र संस्था के प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जावेगा।

7.4.:– संस्था में अध्यापन करने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी राजनैतिक गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे एवं छात्रों का भी राजनैतिक उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा।

7.5 :– प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, कक्षानुसार छात्रों की उपस्थिति पंजियों का संधारण करेगा। उपस्थिति पंजियों का निरीक्षण मण्डल अथवा शालेय शिक्षा विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी कर सकेंगे।

7.6 :– संस्था में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पालक–शिक्षक संघ का गठन किया जावेगा।

आठ – दण्ड : <u>मान्यता का निलंबन, मान्यता समाप्ति तथा सुरक्षा निधि का राजसात किया जाना</u> :–

8.1 इन विनियमों की कण्डिका 5 में मान्यता हेतु निर्धारित मान्यता मापदण्डों के उल्लंघन की दशा में अध्यक्ष अथवा सचिव को यह अधिकार होगा कि वे दर्शाये गये कारणों से संस्था की मान्यता निलंबित कर सकेंगे। ऐसे निलंबन आदेश होने के 30 दिन के अन्दर संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कर सकने की दशा में निलंबन स्वतः समाप्त माना जावेगा।

8.2 मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन की दशा में सचिव कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर एवं सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संस्था की सुरक्षा निधि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से राजसात कर सकेंगे।

8.3 सचिव द्वारा संस्था की सुरक्षा राशि राजसात करने के आदेश पारित करने के पूर्व अनिवार्य होगा कि वे स्वयं अथवा अतिरिक्त सचिव अथवा उपसचिव शाला का निरीक्षण करेंगे एवं संस्था को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे।

8.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष को उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकार होगा कि वे मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्डों के गम्भीर उल्लंघन की दशा में संस्था को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगें।

नौ – <u>अपील</u> :–

9.1 इन विनियमों के अन्तर्गत सचिव द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के अन्दर अध्यक्ष को अपील की जा सकेगी। अपील में सुनवाई के पश्चात समुंचित आदेश पारित करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

9.2 इन विनियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिन के भीतर माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, शालेय शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी।

1.	माननीय मंत्री म.प्र. शासन, शालेय शिक्षा विभाग	–	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, शालेय शिक्षा विभाग	–	सदस्य
4.	आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण	–	सदस्य
5.	मान्यता समिति के दो अशासकीय सदस्य	–	सदस्य
6.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल	–	सदस्य सचिव

अपील समिति की बैठक हेतु माननीय मंत्री, शालेय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मान्यता समिति के अशासकीय सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य तथा शासकीय सदस्यों में से प्रमुख सचिव/सचिव, अथवा आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण में से किसी एक का होना अनिवार्य होगा।

दस – निरसन एवं व्यावृत्ति :–

10.1 इन विनियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पूर्व में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2005 स्वमेव निरस्त हो जाएगे।

10.2 इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व निर्णीत किये गये मान्यता प्रकरण इसी प्रकार समझे जाएंगे, मानो वे इन विनियमों के अन्तर्गत निर्णीत हुये हों।

10.3 इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व निर्णीत मान्यता के प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

10.4 इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि के समय विचाराधीन और उसके पश्चात प्राप्त होने वाले मान्यता प्रकरणों का निराकरण इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

एल. के. द्विवेदी, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.